सुल्तानगंज थाने का घेराव, की नारेबाजी

नाबालिग लड़की के अपहरण के 38 दिन बाद भी नहीं मिलने पर साहू समाज का गुस्सा फूटा

बेगमगंज/सुल्तानगंज, 8 फरवरी. रायसेन जिला मुख्यालय से 105 किमी दूर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम घाना कला से दो युवकों दुर्गेश सिंह राजपूत 26 वर्ष निवासी ग्राम घाना कला एवं उसका रिश्तेदार जयकुमार सिंह राजपूत 28 वर्ष निवासी रतनहारी द्वारा एक नाबालिग लड़की का 38 दिन पहले अपहरण कर ले जाने के बाद अब तक उसकी बरामदगी नहीं होने और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से शनिवार की दोपहर में भोपाल एवं रायसेन जिले भर से जुटे साहू समाज के पदाधिकारियों व समाज के सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया.

साहू समाज के जिला प्रमुख ताराचन्द्र साहू ने बताया कि ग्राम घाना कला से दो युवक एक नाबालिग को उसके छोटे भाई के सामने उठाकर बाइक पर ले गए थे. बच्चे द्वारा बताने पर पिता ने जिसकी रिपोर्ट सुल्तानगंज थाने में की तो पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट न लिखकर केवल गुम इंसान का मामला दर्जकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था. बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े राजपूत समाज के लोगों द्वारा पिता पर रिपोर्ट वापिस लेने का दवाब बनाते हुए धमकियां दी जाने लगी. अपहरण के 38 दिन बाद भी जब बालिका का पता नहीं चला तो प्रदेश एवं जिले स्तर के साहू समाज के पदाधिकारी पहुंचे और पुलिस के द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने की खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया और परिसर में धरना प्रदर्शन के साथ भजन कीर्तन शुरू कर दिया जो शनिवार की शाम तक चला. इस बीच मौके पर आए एसडीओपी अनिल मौर्य एवं नायब तहसीलदार देवेंद्र शुक्ला द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी एवं बालिका को तीन दिवस के अंदर खोजने के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया है. यदि 3 दिन के अंदर बालिका का पता नहीं लगा तो मध्य प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर के साहू समाज के पदाधिकारी एवं हजारों स्वजनों द्वारा सुल्तानगंज में पुलिस के खिलाफ जंगी प्रदर्शन के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा . इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा का भी घेरावकर धरना आंदोलन किया जाएगा.

> एसडीओपी अनिल मौर्य ने बताया कि 38 दिन पहले ग्राम घाना कला की एक नाबालिग बच्ची को गांव का युवक दुर्गेश सिंह राजपूत एवं उसका साथी जयकुमार राजपूत निवासी रतनहारी अपहृत करके ले गए थे. जिसकी रिपोर्ट बच्ची के पिता के द्वारा सुल्तानगंज थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस द्वारा लगातार खोजे जाने के बावजूद भी जब वह नहीं मिली तो शनिवार को जिले भर से साहू समाज के नेता एवं लोग एकत्रित हुए और सुल्तानगंज में धरना प्रदर्शन करने लगे थे जो समझाइश के बाद मान गए ओर आंदोलन खत्म कर दिया. उन्होंने लिखित आश्वासन मांगा था तीन दिवस के अंदर बालिका को खोज लिए जाने और आरोपियों की भी गिरफ्तारी होने का लिखित आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त कराया. आरोपियों एवं बच्ची की खोज के लिए अलग-अलग पुलिस दल गठित किए गए हैं .शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और बच्ची को भी बरामद कर लिया जाएगा.

नया गांव खुर्द में मनाया जल अर्पण दिवस

ग्राम पंचायत को नल-जल योजना हस्तांतरित

बाड़ी, 8 फरवरी. ग्राम पंचायत घोट के ग्राम नयागांव खुर्द में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलजल योजना का समस्त कार्य पूर्ण कर ट्रायल एण्ड रन अवधि उपरांत नलजल योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई, जिसके पश्चात योजना का संचालन-संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है.

इस उपलक्ष्य में रविवार को ग्राम में जल अर्पण दिवस मनाया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद सदस्य केराबाई एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत घोट के सरपंच कमल सिंह ठाकुर द्वारा की गई. कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से सहायक यंत्री श्याम कुमार डोले, उपयंत्री आशीष पंथी, सुरजीत सिंह, ऐबिडेन्स एक्शन टीम से गौतम मोहते, ग्राम पंचायत सचिव दुर्गाप्रसाद एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में जल जागरूकता, जल संरक्षण एवं स्वच्छ पेयजल से संबंधित विभिन्न गतिविधियां की गई

> ग्रामीण स्वच्छता एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम एवं जल की सुरक्षा के लिए जल सुरक्षा शपथ दिलाई गई. फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से लैब केमिस्ट संध्या रघुवंशी के द्वारा ग्रामीण महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया. स्कूल बच्चों को जल बचाव, जल संरक्षण एवं स्वच्छ पेयजल के बारे में जानकारी दी गई. इसके बाद नल पूजन कार्यक्रम, स्कूली बच्चों के साथ गांव में जल जागरूकता रैली निकाली गई. कार्यक्रम का संचालन पीएमयू गोपाल सिंह दिवाकर द्वारा किया गया. हैंडपंप टेक्नीशियन अमर सिंह मारण ने आभार व्यक्त किया.

फर्जी पत्रकार बनकर पुलिस की छवि धूमिल करने की साजिश

नाबालिग ने कैमरे के सामने किया खुलासा

बाड़ी, 8 फरवरी. बाड़ी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुई कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है. नाबालिग ने स्वयं पुलिस अधीक्षक रायसेन को लिखित आवेदन देकर सच्चाई सामने रखी और वायरल शिकायत एवं ऑडियो का स्पष्ट रूप से खुलाया किया है.

नाबालिग ने अपने आवेदन और कैमरे के सामने दिए गए बयान में बताया कि सुनील मेहरा नामक व्यक्ति, जो स्वयं को पत्रकार बताता है, उसे बहला-फुसलाकर रायसेन ले गया. इस दौरान युवक का मोबाइल अपने पास रख लिया गया और उसे भरोसा दिलाया गया कि 'सब ठीक हो जाएगा.' इसी दौरान उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए, जिनका बाद में गलत उपयोग किया गया.

नाबालिग के अनुसार, उन्हीं दस्तावेजों और कथित ऑडियो के आधार पर पुलिस के खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप लगाए गए तथा सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया. उसने स्पष्ट रूप से कहा कि बाड़ी थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया और न ही किसी तरह की रिश्वत की मांग की गई. वायरल ऑडियो में उल्लेखित 20 हजार रुपये के लेनदेन के संबंध में भी सच्चाई सामने रखी. उसने बताया कि यह राशि पूरी तरह उधारी से संबंधित थी, जिसका पुलिस से कोई संबंध नहीं है. पुलिस पर पैसे मांगने के आरोप पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन हैं. युवक ने यह भी बताया कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसके चलते पुलिस द्वारा उसे वाहन न चलाने की समझाइश दी गई थी.

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने 7 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन

किसानों से निर्धारित समय में पंजीयन कराने का आह्वान

बेगमगंज/ सलामतपुर, 8 फरवरी. रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान पंजीयन 07 फरवरी से प्रारंभ हो गए हैं तथा यह किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 07 मार्च निर्धारित है. रायसेन जिले में गेहूँ उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन के लिए 117 पंजीयन केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं. इन पंजीयन केन्द्रों पर 07 मार्च 2026 पंजीयन नि:शुल्क किए जाएंगे.

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है. इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे. प्रति पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा. किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा.

सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी. इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा. पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था में केन्द्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जायेगा.

उपार्जित फसल के भुगतान के लिए बैंक खाता: किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा. किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा. किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे. पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें.

सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सकें. इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है. आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा. किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रूपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा.

आधार नंबर का वेरिफिकेशन

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा. वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा. किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा. भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा. सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा.

किसानों को करें एसएमएस

> विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं. गांव में डोंडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने के निर्देश भी दिये गये हैं. किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं.

अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष किशोरी चौरसिया का निधन

बेगमगंज, 8 फरवरी. अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोरी लाल चौरसिया एडवोकेट के आकस्मिक निधन की खबर फैलते ही नगर में शोक की लहर दौड़ गई. उनसे जुड़े कई लोगों द्वारा अपने-अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया. स्वर्गीय चौरसिया की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में सभी राजनीतिक दल, अधिवक्तागण एवं सभी नागरिक शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी. उनके निधन पर विधायक देवेंद्र पटेल, मप्र कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री राजेन्द्र सिंह तोमर, नपाध्यक्ष संदीप लोधी, उपाध्यक्ष सुदर्शन घोषी, सभी पार्षदगण, पूर्व शासकीय अधिवक्ता बद्री विशाल गुप्ता, आरपी दुबे एडवोकेट, इंदरसिंह बुंदेला, चांद मिया एडवोकेट, गजेंद्र सिंह एडवोकेट, सईद नादां एडवोकेट, हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्यौहार कमेटी, पत्रकार संघ, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संतोष प्रभाकर बुंदेला सहित सभी अधिवक्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनेताओं एवं समाजसेवियों धर्मसेवियों द्वारा उन्हें अंतिम विदाई देते हुए 2 मिनट का मौन धारण शोक श्रद्धांजलि अर्पित की.

भोजपुर भंडारे के लिए मंत्री सारंग ने किया भूमि पूजन

भोपाल, 8 फरवरी. ओम शिव शक्ति सेवा मंडल रजिस्टर्ड भोपाल/ मंडीदीप के सचिव रिंकू भटेजा ने बताया कि आगामी 15 फरबरी 2026 को महाशिवरात्रि पर्व पर भोजपुर (शिव शक्ति होटल के पास) में लगने वाले मंडल के 23 वें विशाल भंडारे का भूमि पूजन मंडल के संरक्षक एवं मध्यप्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी के कर कमलों द्वारा पंडित सुमित शर्मा ने विधि विधान से कराया.

भूमि पूजन की शुरुआत नन्ही बालिका स्वाभी भटेजा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया । इस विशाल भंडारे में लगभग 1 लाख 21 हजार शिव भक्तों को प्रसादी की व्यवस्था की जायेगी जिन भक्तों का उपवास है उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी, मोरधन की खीर, आलू चाट, साबूदाने के वारे,फल, चाय की व्यवस्था की जाएगी एवं जिन श्रद्धालुओं का उपवास नहीं है उनके लिए प्रसिद्ध कढ़ी चावल की व्यवस्था की जाएगी।

रिंकू भटेजा ने आगे बताया कि इस भंडारे का मुख्य आकर्षण 21 फीट ऊंची शिवलिंग पर गोमुख से पवित्र गंगाजल निरंतर प्रभावित रहेगा।

बिना बैरिकेड्स लगाए पाइपलाइन मरम्मत से ट्रैफिक बाधित

राहगीरों को हो रही परेशानी, एसडीएम ने व्यवस्था सुधारने दिए निर्देश

बेगमगंज, 8 फरवरी. अदालत के पास वाले मुख्य फर्शी मार्ग पर दोनों ओर बिना कोई बैरिकेड्स लगाए पाइपलाइन मरम्मत के लिए मुख्य सड़क की एक तरफ से ठेकेदार द्वारा जेसीबी से खुदाई शुरू किए जाने से इस सड़क का आवागमन प्रभावित हो रहा और लोगों को हदाईपुर तरफ से मुख्य सागर -भोपाल सड़क तक आने में परेशानी उठाना पड़ रही है.

इस तरफ बेरिकेड्स नहीं लगाए जाने से वाहन चालक आगे गेट तक पहुंच जाते हैं मार्ग बंद होने से फिर उन्हें लौटने के लिए वाहनों को मोड़ने में भारी परेशानी उठाना पड़ रही है. ऐसी स्थिति में कई बार जाम की स्थिति निर्मित हुई है. इसकी शिकायत मिलने पर सौरभ मिश्रा द्वारा ठेकेदार को व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए गए. नगर का प्रमुख मार्ग टीचर कालोनी फर्शी रोड पर प्रतिदिन सैकड़ों दो एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन होता है और यह रास्ता दर्जनों ग्रामों को जोड़ता है. ठेकेदार द्वारा सड़क के दोनों ओर बिना बैरिकेड्स लगाए रास्ते को बंद कर दिया. मुख्य मार्ग पर गेट के सामने जेसीबी लगाकर मुख्य मार्ग गहरा खोद दिया. जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाने आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है.

> शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम मिश्रा ने संबंधित ठेकेदार को निर्देश देते हुए सड़क के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर ही कार्य करने और समय पर खोदी गई सड़क की मरम्मत करने को कहा ताकि नागरिकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े. उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन विस्तार के लिए कार्य कराया जा रहा है. कई कॉलोनियों व सड़कों को खोदा गया है , लेकिन ठेकेदारों द्वारा मरम्मत समय पर नही होने से राहगीरों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जनपरिषद ने किया पूर्व आईएएस अजातशत्रु का अभिनंदन

भोपाल. जनपरिषद के उपाध्यक्ष एवं पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजातशत्रु श्रीवास्तव के मुख्यमंत्री के ओएसडी बनने पर जन परिषद की कोर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया. पदाधिकारियों में रामजी श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, दुर्गेश रायकवार, मोहन अग्रवाल एवं सुनील श्रीवास्तव उपस्थित थे. एन के त्रिपाठी, अजय श्रीवास्तव नीलू एवं महेंद्र जोशी के भोपाल से बाहर होने के कारण उन्होंने फोन पर बधाइयां दी. अजातशत्रु ने चर्चा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि मेरे सभी मित्रों एवं शुभचिंतकों की है. उन्होंने कहा कि जनपरिषद के सामाजिक एवं रचनात्मक उद्देश्यों को मूर्तरूप देने के लिए, उनसे जो भी बन पड़ेगा, वे उसके लिए कृत संकल्पित हैं.

अनदेखी | ग्रामीणों ने संकेतक बोर्ड लगाने और स्पीड ब्रेकर बनाने की उठाई मांग

हाइवे 18 के खामखेड़ा तिराहे पर बढ़ रहा हादसों का खतरा

सलामतपुर, 8 फरवरी. रायसेन जिले के भोपाल-विदिशा स्टेट हाईवे 18 पर बेरखेड़ी चौराहा से आगे खामखेड़ा जोड़ पर ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि खामखेड़ा तिराहे पर न तो कोई संकेतक बोर्ड है और न ही स्पीड ब्रेकर, जिसके कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. ग्रामीणों के अनुसार खामखेड़ा तरफ से आने वाले वाहन सीधे हाईवे 18 पर चढ़ जाते हैं, जबकि भोपाल या विदिशा दिशा से आने वाले वाहन चालकों को तिराहा समझ ही नहीं आता.

दृश्यता और संकेतों की कमी के चलते कई बार वाहन टकराव की स्थिति बन जाती है. लोगों ने प्रशासन से तुरंत सड़क सुरक्षा उपाय करने की मांग की है. या तो तिराहे पर स्पष्ट संकेत बोर्ड लगाए जाएं या फिर स्पीड ब्रेकर बनाकर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित की जाए, ताकि इस तिराहा पर होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लग सके.

खामखेड़ा जोड़ पर ऑटो और 407 में हो चुकी है भिड़ंत

भोपाल विदिशा स्टेट हाइवे 18 से लगे हुए खामखेड़ा जोड़ पर कुछ समय पहले ही एक भीषण हादसा हो गया था. जिसमें ऑटो और 407 वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पलट गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं 407 वाहन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. दुर्घटना में ऑटो चालक चंदन साहू पिता राजू साहू उम्र 22 वर्ष निवासी शिवनगर भानपुर भोपाल गंभीर रूप से घायल हो गये थे. यहां पर सुरक्षा के इंतज़ाम ना होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार किरन लौबंशी पत्नी सर्बेश कुमार लौबंशी निवासी म.नं. 92, ग्राम हाजली, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के द्वारा भूमि स्थित ग्राम मुहारा संग्रामपुर तहसील बाड़ी जिला रायसेन म.प्र. सर्वे क्रमांक 104/1/1/2/2/1, रकबा 1-9520 हे. लगानी 8-56 रुपए में से रकबा 0-809 हे. (दो एकड़) भूमि के क्रय के संबंध में भूमि स्वामी हसीब उल्ला आयु 61 साल आत्मज इनाम उल्ला निवासी अस्पताल के पास बाड़ी तहसील बाड़ी वार्ड क्रमांक 4 जिला रायसेन से विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 8/2/2026 को बरेली में निष्पादित कराया है व मेरे पक्षकार ने उक्त अनुबंध के पालन में राशि बयाना बतौर अदा कर दी है व अप्रैल 2026 में उक्त भूमि का विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) कराना है. यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उक्त भूमि के संबंध में बंधक या हक सृजित या न्यायालयीन कार्यवाहियां आदि के संबंध में मुझे या क्रेता को 15 दिवस के अंदर दस्तावेज सहित मुझे सूचित करें. अन्यथा की दशा में आपके द्वारा किसी प्रकार का दावा-आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी. मेरी पक्षकार भूमि की रजिस्ट्री करालेगी.

राजेश कुमार श्रीवास्तव (एडवोकेट)
ऑफिस- चेम्बर नं. 3, पावर हाउस रोड, न्यायालय के पास, बरेली जिला रायसेन म.प्र.
मो.नं. 9977305039, 9977273427

Presiding Officer:
सुश्री अंकिता नागर
आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत

(RCS A/0000002/2026)
P. No. 207/26
Process id-/2026
पेशी दिनांक 4/3/2026

महेश सिंह ...वादी
Vs
सर्वसाधारण ...प्रतिवादी

प्रेषिती
1. सर्वसाधारण, पता- सर्वसाधारण जिला रायसेन म.प्र.

यह कि प्रार्थी महेश सिंह ने आपके विरुद्ध वाद वास्ते स्वत्व घोषणा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के लिए वाद संस्थित किया है. आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है. आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं, पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हों, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसे सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एकपक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा, साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें.

यह आज तारीख 4 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है.

सील

सुश्री अंकिता नागर
व्यवहार न्यायाधीश, बरेली, जिला रायसेन म.प्र.

कृपया ध्यान दें:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा.